Circular No: PFRDA/2022/23/SUP-CRA/08 **19th Sep 2022**

CIRCULAR

To

All Stakeholders under NPS

Subject: Reduction of Timelines for Withdrawal from T+4 to T+2 for the benefit of Subscribers -reg

As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav and to commemorate 75 years of India's Independence, the intermediaries of PFRDA viz Central Recordkeeping Agencies (CRAs), Pension Funds (PFs) and Custodian have improved the system interface and enhanced their IT capabilities to reduce the timelines of various transactions under NPS for providing better subscriber experience to fulfil their evolving needs.

2. The withdrawal requests of Subscribers at the time of exit were hitherto executed on T+4 working/settlement days (T being the day of authorization of withdrawal request by Nodal office/PoP/Subscriber) and the timeline has been reduced to T+2.

3. The reduced timelines of final exit from NPS, which would benefit the Subscribers associated with the respective CRAs are provided below:

Subscribers associated with Protean eGov Technologies Ltd CRA : Requests authorized up to 10:30 AM will be settled on T+2 basis.

Subscribers associated with KFin Technologies Ltd & CAMS CRAs : Requests authorized up to 11 AM will be settled on T+2 basis.

4. The list of CRA-wise activities processed on T+2 basis is provided in the Annexure for ready reference. The timelines are to be considered for working and settlement days. The reduced timelines shall be introduced in a phased manner for other activities in the interest of Subscribers.

Yours sincerely,

Chief General Manager

बी - १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली - ११० ०१६
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट :www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone : 011 - 26517501, 26133730 ,26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

https://twitter.com/govtstaff https://www.govtstaff.com https://www.fb.com/govtstaffnews

Annexure

Subscriber transactions with a TAT of T+2 Settlement days

Associated CRA of Subscribers	List of Activities	TAT T+2 Settlement Days for
K Fin Technologies Ltd.	i. Superannuation ii. Premature Exit iii. Exit due to Death iv. Annuity Withdrawal v. Tier II Withdrawal vi. Partial Withdrawal vii. Scheme Preference Change viii. Re-balancing ix. PFM Change Request x. One-way Switch xi. Inter-sector change xii. ERM	Requests Authorized up-to 11 AM
CAMS	i. Superannuation ii. Premature Exit iii. Exit due to Death iv. Annuity Withdrawal v. Tier II Withdrawal	Requests Authorized up-to 11 AM
Protean eGov Technologies Ltd.	i. Superannuation ii. Premature Exit iii. Exit due to Death iv. Family/Disability Pension v. Annuity Withdrawal vi. Tier II Withdrawal* vii. One Way Switch* viii. Re-balancing	Requests Authorized up-to 10:30 AM
Protean eGov Technologies Ltd.	i. Scheme Preference change	Requests Authorized up-to 10:00 AM

***'T' depends on the cut-off time for Settlement which varies between 10.30 am to 11.00 am, however, may change depending upon other settlement factors.*

Definitions:

A. **One-way switch**: Under the functionality of one-way switch, the subscriber has an option to transfer funds from Tier II to Tier I account, however, the vice-versa is not allowed.

B. **Rebalancing**: In the case of subscribers who have opted 'Auto choice' investment option, the percentage of investment in the asset classes E/C/G will change as per the subscriber's age

https://twitter.com/govtstaff https://www.govtstaff.com https://www.fb.com/govtstaffnews

as given in the 'Life cycle Investment Matrix'. The change happens on the date of birth of the subscriber. In this process, the existing assets, to the extent of change, are redeemed and reinvested as per the new allocation ratio.

C. **Partial withdrawal:** Subscriber, who has been in NPS for at least 3 years, can withdraw maximum of 25% of the contributions made by the Subscriber (excluding returns thereof and employer contribution, if any). Partial withdrawal can be availed maximum of three times with the condition that the subscriber will receive maximum of 25% of own contributions made between two partial withdrawals.

https://twitter.com/govtstaff https://www.govtstaff.com https://www.fb.com/govtstaffnews

परिपत्र संख्या: PFRDA/2022/23/SUP-CRA/08 19 सितम्बर 2022

परिपत्र

सेवा में

एनपीएस के तहत सभी हितधारक

<u>विषय : अभिदाताओं की सुविधा के लिए निकासी की समय-सीमा को टी+4 से घटाकर टी+2 किए जाने के संबंध में</u>

आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में और भारत में आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, पीएफआरडीए के मध्यवर्ती संस्थाओं जैसे केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए), पेंशन निधियों (पीएफ) और अभिरक्षक (कस्टोडियन) ने अभिदाताओं की उभरती आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उन्हें बेहतर अनुभव प्रदान के लिए सिस्टम इंटरफेस में सुधार किया है और विभिन्न लेनदेन के लिए समय सीमा को कम करने के लिए अपनी आईटी क्षमताओं में विस्तार किया है।

2. अभी तक निकासी पर अभिदाताओं के आहरण अनुरोधों को टी+4 कार्य / निपटान दिवसों (टी का अर्थ नोडल कार्यालय/ पीओपी /अभिदाता द्वारा निकासी अनुरोध को अधिकृत करने का दिन है) पर निष्पादित किया जाता था और अब इसे घटाकर टी+2 कर दिया गया है।

3. एनपीएस से अंतिम निकासी की घटाई हुई समयसीमा नीचे दी गई है, जिससे संबंधित सीआरए से सम्बन्धित अभिदाताओं को लाभ होगा :

<u>प्रोटियन eGov टेक्नोलाजीस लिमिटेड सीआरए से जुड़े अभिदाता</u> : प्रातः 10:30 बजे तक अधिकृत निकास अनुरोधों का निपटान टी+2 आधार पर किया जाएगा।

केफिन टेक्नोलाजीस लिमिटेड और सीएएमएस सीआरए से जुड़े अभिदाता : प्रातः 11 बजे तक अधिकृत निकास अनुरोधों का निपटान टी+2 आधार पर किया जाएगा।

4. टी+2 आधार पर संसाधित होने वाली सीआरए-वार गतिविधियों की सूची तत्काल सन्दर्भ के लिए अनुलग्नक में दी गई है। समय-सीमा को कार्य और निपटान दिवसों के लिए माना जाएगा। अन्य गतिविधियों के लिए घटाई हुई समयसीमा को अभिदाताओं के हित में चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

भवदीय,

मुख्य महाप्रबन्धक

बी - १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली - ११० ०१६
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट :www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone : 011 - 26517501, 26133730 ,26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

https://twitter.com/govtstaff https://www.govtstaff.com https://www.fb.com/govtstaffnews

अनुलग्नक

टी+2 निपटान दिवसों के नियतकालिक समय में अभिदाता संव्यवहार

अभिदाताओं से सम्बन्धित सीआरए	गतिविधियों की सूची	नियतकालिक समय टी+2 निपटान दिवसों के लिए
केफिन टेक्नोलाजीस लिमिटेड	क. सेवानिवृत्ति ख. समयपूर्व निकासी ग. मृत्यु के कारण निकासी घ. वार्षिकी निकासी ङ. टियर II निकासी च. आंशिक निकासी छ. योजना वरीयता परिवर्तन ज. पुनः संतुलन झ. पीएफएम परिवर्तन अनुरोध ञ. एकल मार्ग परिवर्तन ट. इंटरसेक्टर परिवर्तन ठ. ईआरएम	प्रातः 11 बजे तक प्राधिकृत अनुरोध
सीएएमएस	क. सेवानिवृत्ति ख. समयपूर्व निकासी ग. मृत्यु के कारण निकासी घ. वार्षिकी निकासी ङ. टियर II निकासी	प्रातः 11 बजे तक प्राधिकृत अनुरोध
प्रोटियन eGov टेक्नोलाजीस लिमिटेड	क. सेवानिवृत्ति ख. समयपूर्व निकासी ग. मृत्यु के कारण निकासी घ. परिवार/विकलांगता पेंशन ङ. वार्षिकी निकासी च. टियर II निकासी* छ. एकल मार्ग परिवर्तन* ज. पुन: संतुलन	प्रातः 10:30 बजे तक प्राधिकृत अनुरोध
प्रोटियन eGov टेक्नोलाजीस लिमिटेड	क. योजना वरीयता परिवर्तन	प्रातः 10 बजे तक प्राधिकृत अनुरोध

https://twitter.com/govtstaff https://www.govtstaff.com https://www.fb.com/govtstaffnews

** 'T' निपटान के लिए कट-ऑफ समय पर निर्भर करता है, जो सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच बदलता रहता है, हालांकि, अन्य निपटान कारकों के आधार पर भी बदल सकता है।*

परिभाषाएं :

क. **एकल मार्ग परिवर्तन :** एकल मार्ग परिवर्तन कार्यप्रणाली के तहत, अभिदाता के पास टियर II से टियर I खाते में फंड ट्रांसफर करने का विकल्प होता है, हालांकि, इसके विपरीत अनुमति नहीं होती है।

ख. **पुन: संतुलन** : उन अभिदाताओं के मामले में जिन्होंने 'ऑटो चॉइस' निवेश विकल्प चुना है, ई/सी/जी परिसंपत्ति वर्गों में निवेश का प्रतिशत अभिदाता की आयु के अनुसार बदल जाएगा जैसा कि 'जीवन चक्र निवेश मैट्रिक्स' में दिया गया है।यह बदलाव अभिदाता की जन्म तिथि पर होता है। इस प्रक्रिया में, मौजूदा परिसंपत्तियों को, परिवर्तन की सीमा तक, नए आवंटन अनुपात के अनुसार भुनाया और पुनर्निवेश किया जाता है।

ग. **आंशिक निकासी** : ऐसे अभिदाता, जो कम से कम 3 साल से एनपीएस में हैं, अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान का अधिकतम 25% निकाल सकते हैं (उसके रिटर्न और नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर, यदि कोई हो तो)। आंशिक निकासी का अधिकतम तीन बार लाभ इस शर्त के साथ लिया जा सकता है कि अभिदाता को दो आंशिक निकासी के बीच किए गए स्वयं के अंशदान का अधिकतम 25% प्राप्त होगा।

https://twitter.com/govtstaff https://www.govtstaff.com https://www.fb.com/govtstaffnews